भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 208
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: खेती योग्य भूमि
***208. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में ऐसी निवल कृषि भूमि राज्य-वार कितनी है जिस पर बुआई होती है:
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने हेक्टेयर खेती योग्य भूमि क्षेत्र पर खेती की गई और उसका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में कितने हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो अब खेती योग्य नहीं है और उसका ब्यौरा क्या हैं; और
(घ) खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कृषि योग्य भूमि के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 208 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में विवरण।

(क) से (ग): 'लैंड यूज़ स्टेटिस्टिक्स-एट ए ग्लांस 2022-23' (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक देश में निवल बुआई क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि/खेती योग्य भूमि का राज्यवार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II में** दिया गया है।

(घ): भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ाने और कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोकने के लिए उचित उपाय करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों में सहायता करती है।

भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के पनधारा विकास घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना में की जाने वाली गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी की स्थापना, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। इस योजना को सरकार ने दिनांक 15-12-2021 को मंजूरी दी है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए उपायों से खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ाने के सरकार के प्रयास में सहायता की जाती हैं। विभाग ने सभी राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 12303.32 करोड़ रुपये की लागत से 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4548.70 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाओं की परियोजना अवधि मार्च, 2026 तक है। सभी स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इसमें वर्षा जल के बहाव के कारण मृदा के कटाव को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट बायो-इंजीनियरिंग, हवा के कटाव को रोकने के लिए रेत के टीलों का स्थिरीकरण और आश्रय बेल्ट तकनीक और देश में समस्याग्रस्त मृदा के लिए सुधार तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, फ्लशिंग, अतिरिक्त पानी को निकालना, अच्छी गुणवत्ता वाला सिंचाई जल, संशोधनों का अनुप्रयोग, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं। इस तकनीक

ने 8 राज्यों (हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश) में 2.22 मिलियन हेक्टेयर सोडिक मृदा का पुनरुद्धार किया है। आईसीएआर ने खराब हो चुकी मृदा को सुधारने और उसे फसल की खेती के अंतर्गत लाने के लिए कई कृषि संबंधी उपायों की भी सिफारिश की है, जिसमें पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (मृदा, जैवउर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट को रोकने के लिए स्थान विशेष मृदा और जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

निवल बुवाई क्षेत्र		(हजार हेक्टेयर)				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आंध्र प्रदेश	6049	5884	5915	6038	5725
2.	अरुणाचल प्रदेश	234	235	242	243	253
3.	असम	2723	2699	2724	2749	2744
4.	बिहार	5167	5077	5045	5070	5113
5.	छत्तीसगढ	4679	4635	4623	4631	4592
6.	गोवा	128	127	127	127	126
7.	गुजरात	9390	9787	9822	9720	9748
8.	हरियाणा	3601	3552	3611	3611	3584
9.	हिमाचल प्रदेश	542	530	526	528	532
10.	झारखंड	1281	1291	1328	1379	1025
11.	कर्नाटक	10664	10804	11453	11166	11161
12.	केरल	2034	2026	2035	2029	1990
13.	मध्य प्रदेश	15205	15512	15800	15823	15848
14.	महाराष्ट्र	16815	16722	16650	16590	16491
15.	मणिपुर	441	331	410	393	382
16.	मेघालय	255	255	253	253	274
17.	मिजोरम	145	145	145	145	145
18.	नागालैंड	384	384	386	265	361
19.	ओडिशा	4006	4102	4179	4322	4269
20.	पंजाब	4119	4127	4126	4113	4110
21.	राजस्थान	17778	18032	17948	18130	18423
22.	सिक्किम	77	77	77	77	83
23.	तमिलनाडु	4582	4738	4833	4909	4838
24.	तेलंगाना	4660	5500	5927	5625	5897
25.	त्रिपुरा	256	255	255	255	255
26.	उत्तराखंड	648	638	621	594	568
27.	उत्तर प्रदेश	16538	16368	16368	16096	16121
28.	पश्चिम बंगाल	5248	5250	5282	5281	5216
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	15	15	15	15	15
30.	चंडीगढ़	1	1	1	1	1
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	-	23	23	23	21
32.	दादरा एवं नगर हवेली	20	-	-	-	-
33.	दमन और दीव	3	-	-	-	-
34.	दिल्ली	22	22	22	22	22
35.	जम्मू और कश्मीर	713	720	736	733	733
36.	लद्दाख	-	20	20	20	22
37.	लक्षद्वीप	3	2	2	2	2
38.	पुदुचेरी	15	15	15	16	16
	अखिल भारत	138439	139901	141544	140991	140705

स्रोत: भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नज़र में, 2022-23, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि योग्य भूमि		(हजार हेक्टेयर)				
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आंध्र प्रदेश	8997	8828	8817	8987	8979
2.	अरुणाचल प्रदेश	424	424	431	431	431
3.	असम	3305	3296	3295	3321	3315
4.	बिहार	6573	6557	6541	6542	6545
5.	छत्तीसगढ	5570	5551	5542	5552	5556
6.	गोवा	197	141	141	141	139
7.	गुजरात	12397	12388	12462	12428	12368
8.	हरियाणा	3817	3794	3847	3847	3950
9.	हिमाचल प्रदेश	816	821	821	831	843
10.	झारखंड	4319	4280	4319	4324	4311
11.	कर्नाटक	12830	12843	12846	12836	12812
12.	केरल	2235	2232	2229	2223	2200
13.	मध्य प्रदेश	17121	17183	17449	17432	17442
14.	महाराष्ट्र	20719	20589	20509	20466	20394
15.	मणिपुर	448	338	417	399	389
16.	मेघालय	1011	1010	1010	1015	1014
17.	मिजोरम	367	367	367	367	367
18.	नागालैंड	678	676	674	672	669
19.	ओडिशा	6675	6699	6654	6782	6742
20.	पंजाब	4233	4238	4237	4225	4225
21.	राजस्थान	25484	25475	25473	25463	25464
22.	सिक्किम	97	97	97	97	103
23.	तमिलनाडु	8109	8108	8106	8105	8105
24.	तेलंगाना	6767	6785	6717	6715	6735
25.	त्रिपुरा	270	270	270	270	269
26.	उत्तराखंड	1548	1545	1544	1541	1540
27.	उत्तर प्रदेश	18775	18614	18614	18264	18227
28.	पश्चिम बंगाल	5615	5608	5602	5595	5589
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	28	28	28	28	28
30.	चंडीगढ़	1	1	1	1	1
31.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	23	23	23	22
32.	दादरा एवं नगर हवेली	20	-	-	-	-
33.	दमन और दीव	3	-	-	-	-
34.	दिल्ली	53	53	53	53	52
35.	जम्मू और कश्मीर	1091	1071	1074	1075	1094
36.	लद्दाख	-	28	28	28	32
37.	लक्षद्वीप	3	2	2	2	2
38.	पुदुचेरी	28	28	28	28	28
	अखिल भारत	**180624**	**179992**	**180266**	**180112**	**179982**

- स्रोत: भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नज़र में, 2022-23, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- कृषि योग्य भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वर्तमान परती, वर्तमान परती के अलावा परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि शामिल है।
- कृषि योग्य भूमि के लिए प्रयुक्त अन्य नाम हैं कृषि भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य क्षेत्र

*****